DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

17 April, 2024

भारत में चुनावी प्रक्रिया

संदर्भ: *हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि एक दशक में पहला जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2024 को तीन चरणों में आयोजित किया जायेगा।*

चुनाव की परिभाषा

- चुनाव एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या राजनीतिक इकाई के नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों या नेताओं का चयन करते हैं।
- चुनाव लोकतंत्र के लिए मौलिक हैं, जो "लोकप्रिय संप्रभुता" का प्रतीक हैं, जहां सरकार की वैधता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है।

चुनाव का समय

- लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव हर पांच साल में होते हैं, जब तक कि सदनों के समय से पहले भंग होने के कारण चुनाव पहले न हो जाएं।
- भंग सदन के अंतिम सत्र के छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए।

समयपूर्व विघटन पर संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 85:** राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकते हैं, आमतौर पर तब जब केंद्र सरकार बिना किसी विकल्प के विश्वास खो देती है।
- **अनुच्छेद 174:** राज्यपाल समान परिस्थितियों में राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है।

भारत में चुनाव की प्रक्रिया

- **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा**
  - भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, जिसमें विभिन्न चुनाव आयोजनों की तारीखें भी शामिल होती हैं।
  - घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है।
- **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना**
  - भारत निर्वाचन आयोग एक अधिसूचना जारी कर मतदाताओं से सदन के सदस्यों को चुनने का आह्वान करता है, जिससे औपचारिक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
- **उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करना**
  - चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने चुने हुए निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करते हैं।
  - नामांकनों की जांच की जाती है तथा वैध उम्मीदवार दो दिनों के भीतर अपना नाम वापस ले सकते हैं।
- **उम्मीदवारों की शपथ या प्रतिज्ञान**
  - नामांकन दाखिल करने के बाद उम्मीदवारों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा।
- **चुनाव अभियान**
  - उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार शुरू करते हैं, तथा मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त हो जाता है।
  - राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा।
- **चुनाव घोषणापत्र**
  - राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और वादों को रेखांकित करते हुए घोषणापत्र जारी करते हैं।
- **प्रतीकों का आवंटन**
  - नामांकन के बाद, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाते हैं, जबकि अन्य को स्वतंत्र चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं।
- **मतदान का दिन**
  - भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव मतदान विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कई दिनों तक चलता है।
- **मतदान प्रक्रिया**
  - लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग करके किया जाता है।
  - मतदान गुप्त होता है तथा मतदान केन्द्र सार्वजनिक संस्थानों में स्थापित किये जाते हैं।
- **चुनावों की निगरानी**
  - निष्पक्ष प्रचार और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग चुनाव पर्यवेक्षकों को तैनात करता है।
  - चुनाव व्यय पर्यवेक्षक अभियान व्यय पर नज़र रखते हैं।
- **मतों की गिनती**
  - मतों की गणना रिटर्निंग अधिकारियों और ईसीआई पर्यवेक्षकों की देखरेख में की जाती है, और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।
- **सदन का गठन**
  - चुनावों के बाद, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचित सदस्यों की सूची तैयार करता है और सदन के गठन के लिए अधिसूचना जारी करता है।
- **चुनाव याचिकाएँ**
  - यदि किसी मतदाता या उम्मीदवार पर कदाचार का संदेह हो तो वह चुनाव याचिका दायर कर सकता है, तथा मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

- मतों को दर्ज करने के लिए पारंपरिक मतपत्रों और मतपेटियों के स्थान पर ई.वी.एम. का उपयोग किया जाता है।
- **ईवीएम के लाभ**
  - अवैध वोटों को हटाता है.
  - मतगणना में तेजी लाता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- कागज़ का उपयोग कम होता है, पेड़ बचते हैं।
- मुद्रण लागत कम हो जाती हैं।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान

संदर्भ: *हाल ही में इसरो के सबसे छोटे प्रक्षेपण यान, SSLV ने शुक्रवार को अपनी तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान के दौरान ईओएस-08 और एसआर-0 उपग्रहों को 475 किलोमीटर की सटीक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है।*

एसएसएलवी का अवलोकन

- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी): इसे इसरो द्वारा लघु-उठान प्रक्षेपण यान के रूप में विकसित किया गया है।
- **भार क्षमता:**
  - 500 किग्रा को 500 किमी की ऊंचाई पर निम्न पृथ्वी कक्षा (एल.ई.ओ.) में पहुंचाया जा सकता है।
  - 300 किग्रा को 500 किमी की ऊंचाई पर सूर्य-समकालिक कक्षा में स्थापित किया जा सकता है।
- **मुख्य विशेषताएं** : कम लागत, तीव्र गति से कार्य निष्पादन, मांग के अनुसार लॉन्च करने की सुविधा, न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता।

विकास और मील के पत्थर

- **प्रारंभ** : एसएसएलवी के लिए डिजाइन दिसंबर 2018 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा पूरा किया गया था।
- **लागत** : इसकी विकास लागत ₹169.07 करोड़ है, प्रति इकाई विनिर्माण लागत ₹30-35 करोड़ के बीच होने की उम्मीद है।
- **पहला स्थैतिक अग्नि परीक्षण (एसटी01):** इसे 18 मार्च 2021 को प्रक्षेपित किया गया, लेकिन दोलन और नोजल विघटन के कारण यह असफल रहा।
- **दूसरा स्थैतिक अग्नि परीक्षण (एसटी02):** 14 मार्च 2022 को इसे प्रक्षेपित किया गया तथा आवश्यक परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया गया।

परिचालन इतिहास

- **एसएसएलवी-डी1 (7 अगस्त 2022)**
  - **परिणाम** : सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।
  - **मिशन का विवरण:**
    - यह अपने साथ ईओएस 02 (135 किग्रा) और आजादीसैट (8 किग्रा) ले जाया गया।
    - मुद्दा: दूसरे चरण के दौरान एक्सेलेरोमीटर विसंगति के कारण वांछित कक्षा प्राप्त करने में विफलता हुई।
- **एसएसएलवी-डी2 (10 फरवरी 2023)**
  - **परिणाम:** सफल मिशन, तीन उपग्रहों को नियोजित कक्षाओं में स्थापित किया गया।
  - **उपचारात्मक कार्रवाई:**
    - कंपन को कम करने के लिए संशोधित द्वितीय-चरण पृथक्करण प्रणाली का प्रयोग किया गया।
    - NavIC डेटा का उपयोग करके नेविगेशन को पुनः डिज़ाइन किया गया।
    - पांच नए हार्डवेयर घटक जोड़े गए और इलेक्ट्रॉनिक्स को उन्नत किया गया।
- **एसएसएलवी-डी3 (16 अगस्त 2024)**
  - **परिणाम:** सफल अंतिम विकासात्मक उड़ान।
  - **मिशन विवरण:**
    - ईओएस-08 को 475 किमी वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया गया।
    - एसएसएलवी के विकास चरण के पूरा होने को चिह्नित करते हुए, दोहराए जाने योग्य उड़ान प्रदर्शन का प्रदर्शन किया गया।
- **एसएसएलवी विनिर्देश**
  - **वाहन विशेषताएँ:**
    - **ऊंचाई** : 34 मीटर
    - **व्यास** : 2 मीटर
    - **द्रव्यमान** : 120 टन
  - **प्रणोदन** :
    - पहले तीन चरणों में एचटीपीबी-आधारित ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है।
    - **चौथा चरण:** नियंत्रण और वेग समायोजन के लिए थ्रस्टर्स के साथ वेग-ट्रिमिंग मॉड्यूल (वीटीएम) का उपयोग किया जाता है।
- **भविष्य की योजनाएं और उत्पादन**
  - **समर्पित प्रक्षेपण स्थल:** तमिलनाडु का कुलशेखरपट्टनम , भविष्य में सूर्य-समकालिक कक्षा में एस.एस.एल.वी. प्रक्षेपण का कार्य संभालेगा।
  - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** एसएसएलवी उत्पादन और प्रक्षेपण संचालन का प्रबंधन भारतीय फर्मों और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के संघ द्वारा किया जाएगा।
  - **लागत दक्षता:** अनुमानित प्रक्षेपण लागत 30-35 करोड़ रुपये के बीच है, जिससे SSLV अपनी श्रेणी में सबसे किफायती रॉकेटों में से एक बन जाएगा।

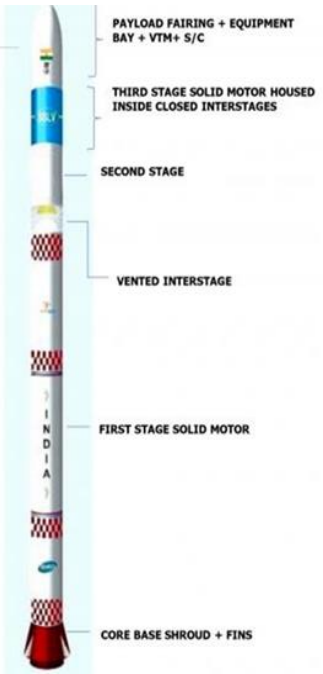

  - **उद्योग जगत द्वारा अपनाया जाना:** कई भारतीय कंपनियां SSLV प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रही हैं, जिससे रॉकेट को 24 घंटे के भीतर एकीकृत करके प्रक्षेपित किया जा सकेगा।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021

संदर्भ: *हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि शुक्राणु या अंडाणु देने वाले माता-पिता अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं या उन्हें अपने युग्मकों के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के जैविक माता-पिता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।*

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

17 April, 2024

सरोगेसी की परिभाषा

- सरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक महिला किसी इच्छुक दम्पति के लिए बच्चे को जन्म देती है, तथा जन्म के बाद बच्चे को दम्पति को सौंपने का इरादा रखती है।

सरोगेसी के प्रकार

- **परोपकारी सरोगेसी:** इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा को छोड़कर सरोगेट मां को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है।
- **वाणिज्यिक सरोगेसी:** इसमें बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा से परे मौद्रिक लाभ या पुरस्कार शामिल होता है, और यह अधिनियम के तहत निषिद्ध है।

सरोगेसी की अनुमति के लिए शर्तें

- प्रमाणित बांझपन से पीड़ित इच्छुक दम्पतियों के लिए सरोगेसी की अनुमति है।
- यह अभ्यास परोपकारी होना चाहिए, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए।
- सरोगेसी का उपयोग बच्चों को बेचने, वेश्यावृत्ति या अन्य शोषण के लिए नहीं किया जा सकता है।
- नियमों के अनुसार विशिष्ट स्थितियों या बीमारियों के लिए सरोगेसी की अनुमति है।

इच्छुक जोड़ों के लिए पात्रता मानदंड

- उपयुक्त प्राधिकारी से 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' और 'पात्रता प्रमाणपत्र' प्राप्त करना होगा।
- **अनिवार्यता प्रमाणपत्र:** इसके लिए बांझपन का प्रमाणपत्र, माता-पिता का होना और उनकी देखभाल के लिए न्यायालय का आदेश, तथा सरोगेट माता के लिए बीमा कवरेज की आवश्यकता होती है।
- **पात्रता का प्रमाण पत्र:**
  - दम्पति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, साथ ही कम से कम पांच वर्षों से विवाहित होना चाहिए तथा विशिष्ट आयु मानदंड (पत्नी: 23-50 वर्ष, पति: 26-55 वर्ष) को पूरा करना चाहिए।
  - दम्पति को कोई जीवित संतान नहीं होनी चाहिए, सिवाय उन बच्चों के जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हों।

सरोगेट माँ के लिए पात्रता मानदंड

- इच्छुक दम्पति का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए।
- वह विवाहित महिला होनी चाहिए और उसका अपना बच्चा भी होना चाहिए।
- आयु 25 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- वह अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही सरोगेट के रूप में कार्य कर सकती है।
- चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- सरोगेट मां अपने युग्मक दान नहीं कर सकती।

सरोगेसी विनियमन अधिनियम के अन्य प्रावधान

- **राष्ट्रीय एवं राज्य सरोगेसी बोर्ड:**
  - केन्द्र और राज्य सरकारें सरोगेसी प्रथाओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड स्थापित करेंगी।
  - राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड नीतिगत मामलों पर सलाह देगा, सरोगेसी क्लीनिकों के लिए आचार संहिता तैयार करेगा तथा राज्य सरोगेसी बोर्डों का पर्यवेक्षण करेगा।
- **पितृत्व और गर्भपात नियम:**
  - सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को इच्छुक दम्पति की जैविक संतान माना जाएगा।
  - सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए, चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 के अनुपालन में, सरोगेट माता की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है।
  - सरोगेट मां भ्रूण प्रत्यारोपण से पहले सरोगेसी से पीछे हट सकती है।
- **अपराध और दंड:**
  - अपराधों में वाणिज्यिक सरोगेसी करना या उसका विज्ञापन करना, सरोगेट माता का शोषण करना, सरोगेट बच्चे को छोड़ना या उसका शोषण करना तथा सरोगेसी के लिए भ्रूण या युग्मक बेचना या आयात करना शामिल है।
  - दंड में 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में ₹10,000 करोड़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है।
- इसे खाद्यान्नों के किफायती वितरण के माध्यम से खाद्यान्न की कमी को प्रबंधित करने के लिए विकसित किया गया था।
- यह योजना जून 1947 में शुरू की गई थी।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन काम करती है, जिनकी भूमिकाएँ अलग-अलग हैं।

भारत में पीडीएस का विकास:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राशनिंग के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था।
- 1960 के दशक में, खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और भारतीय खाद्य निगम (FCI) बनाया गया।
- 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) शुरू की गई।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) की शुरुआत 1997 में की गई, जिसका ध्यान गरीबों पर था।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) सबसे गरीब बीपीएल परिवारों के लिए 2000 में शुरू की गई थी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने सुनिश्चित किया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से भोजन का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

17 April, 2024

कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली

हाल ही में, कृषि निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) शुरू की गई थी।

कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली के बारे में:

- कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) एक डिजिटल भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म मौसम के पैटर्न, मिट्टी की स्थिति, फसल स्वास्थ्य, फसल एकड़ और सलाह सहित व्यापक डेटा प्रदान करता है।
- यह उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर और मिट्टी के स्वास्थ्य डेटा का उपयोग करता है।
- यह फसल पैटर्न को समझने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए फसल मानचित्रण और पार्सल-स्तरीय फसल मानचित्रों के विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है।
- यह सूखे की स्थिति की निगरानी करने में मदद करता है, जिससे प्रभावी सूखा प्रबंधन में सहायता मिलती है।

फॉरएवर केमिकल्स

हाल ही में, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने फॉरएवर केमिकल्स की उत्पत्ति और गंतव्य का पता लगाने के लिए एक विधि विकसित करके एक बड़ी सफलता हासिल की है।

फॉरएवर केमिकल्स के बारे में:

- फॉरएवर केमिकल्स सिंथेटिक केमिकल्स का एक वर्ग है जिसे पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ (PFAS) के रूप में जाना जाता है जो विघटन के लिए प्रतिरोधी होते हैं और सैकड़ों या हज़ारों वर्षों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं।
- इन्हें "फॉरएवर केमिकल्स" के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये समय के साथ स्वाभाविक रूप से विघटित नहीं होते हैं।
- पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थों को पहली बार 1940 के दशक में विकसित किया गया था और इनका उपयोग कई उपभोक्ता उत्पादों, जैसे कि नॉनस्टिक पैन, जल-प्रतिरोधी वस्त्र और अग्नि शमन फोम में किया जाता है, क्योंकि ये पानी और ग्रीस को पीछे हटा सकते हैं।
- ये डिटर्जेंट, खाद्य पैकेजिंग और गर्मी प्रतिरोध जैसे अनुप्रयोगों में भी उपयोगी हैं।
- हालांकि, पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ उत्पादन और उपयोग के दौरान मिट्टी, पानी और हवा में चले जा सकते हैं और लोगों और जानवरों के शरीर में जमा हो सकते हैं जो बार-बार उनके संपर्क में आते हैं।
- पीएफएएस के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों में कैंसर (वृषण, गुर्दे, यकृत और अग्नाशय), प्रजनन संबंधी समस्याएं, बचपन में कमज़ोर प्रतिरक्षा, जन्म के समय कम वज़न, अंतःस्रावी व्यवधान, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि, बच्चों में विकास संबंधी देरी और प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता में कमी शामिल हैं।

सुर्खियों में स्थल

सीरिया

हाल ही में, भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता के रूप में 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएँ भेजी हैं।

सीरिया (राजधानी: दमिश्क)

स्थित: सीरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर सीरियाई अरब गणराज्य के रूप में जाना जाता है, पश्चिम एशिया में पूर्वी भूमध्य सागर और लेवेंट (भूमध्य सागर के पूर्वी तट से लगी भूमि) में स्थित एक देश है।

सीमाएँ: सीरिया की सीमा इराक (पूर्व और दक्षिण-पूर्व), भूमध्य सागर (पश्चिम), तुर्की (उत्तर), जॉर्डन (दक्षिण) और इज़राइल और लेबनान (दक्षिण-पश्चिम) से लगती है।

भौतिक विशेषताएँ:

- सीरिया का सबसे ऊँचा स्थान माउंट हरमोन (जबल अल-शेख) है, जो लेबनान की सीमा के पास एंटी-लेबनान पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
- सीरिया की प्रमुख नदियाँ यूफ्रेट्स, ओरोंटेस, खाबुर और बरदा हैं।
- सीरिया फॉस्फेट, जिप्सम, संगमरमर और डामर सहित कई खनिजों से समृद्ध है।
- देश में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं।

सदस्यता: सीरिया संयुक्त राष्ट्र (यूएन), अरब लीग, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना में मुंबई के कौन से स्टेशन जोड़े गए हैं? – **दहिसर और कांदिवली**
- हाल के निष्कर्षों के अनुसार, समुद्री पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रोकैरियोट्स की प्रतिक्रिया कैसी होगी? – **वे उल्लेखनीय रूप से लचीले हैं और समुद्री पर्यावरण पर हावी हो सकते हैं**
- कौन सा भारतीय राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक (जीईपीआई) शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? – **उत्तराखंड**
- किस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? – **स्वतंत्रता दिवस 2024**
- हाल ही में सिक्किम के फम्बोंग्लो वन्यजीव अभयारण्य में किस अनोखी आर्किड प्रजाति की खोज की गई? – **गैस्ट्रोडिया इंडिका**